

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
[भर्ती प्रकोष्ठ]  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-15/2024-स्था. (भर्ती)  
No.F.2-15/2024-Estt.(RCT)

अंसारीनगर, नई दिल्ली-29

Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक:

Date:

21 SEP 2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Chief Technical Officer (Radiology) at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 07.08.2024 के मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) को वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल-10 के अन्तर्गत मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है। उनकी संबंधित पोस्टिंग का स्थान नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। जिस अधिकारी की पदोन्नति एन.सी.आई झंझर के निर्धारित पद पर हुई है, वह इस कार्यालय आदेश की जारी होने की तिथि से एन.सी.आई झंझर में 10 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करें, यदि वह निर्धारित समय के अंदर एन. सी. आई., झंझर में पदभार ग्रहण नहीं करती है तो माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करती है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Chief Technical Officer (Radiology) held on 07.08.2024 and its acceptance by the Competent Authority, following Senior Technical Officers (Radiology) are promoted to the post of Chief Technical Officer (Radiology) in Level-10 in the pay matrix from the date they assume the charge of the post of Chief Technical Officer (Radiology) at their respective place of posting reflected in the table below. The incumbent promoted to the post of Chief Technical Officer (Radiology) against the post meant for NCI Jhajjar is required to join the post of Chief Technical Officer (Radiology) at NCI Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order failing which it will be presumed that she has denied her promotion.

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	श्रेणी/ Category	Considered against the category	वर्तमान विभाग/ अनुभाग Present Department / Section	नया विभाग/ अनुभाग New Place of posting
1.	Ms. Bindu Jindal( nee Aggarwal)	UR	UR	Radio-Diagnosis (Obst. & Gyne)	NCI, Jhajjar
2.	Ms. Naveen Garg	UR	UR	C.N. Centre	C.N. Centre
3.	Ms. Sushma Sharma	UR	UR	C.N. Centre	C.N. Centre
4.	Ms. Vimmi Gangar (nee Chhabra)	UR	UR	C.N. Centre	C.N. Centre

यदि, वह एन. सी. आई., झंझर में मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) के पद पर पदभार ग्रहण करने में मना करते हैं /असफल होते हैं तो मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडियोलॉजी) के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के दिशा-निर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी बाद में।



Condt..2.

In case, promoted officer refuse to join at NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 10 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order in respect of such incumbent would be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly, as per DOP&T instruction on this subject he/she will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

इनकी वरिष्ठता मुख्य तकनीकी अधिकारी (रेडिपोलॉजी) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 07.08.2024 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Chief Technical Officer (Radiology) will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 07.08.2024.

वे दिल्ली / नईदिल्ली /एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद / एन.सी.आई इज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They shall be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीयउन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(1) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाए वर्तमान मे बल्लभगढ़ (हरियाणा) मे स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई इज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य मे खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र मे स्थानांतरीय है | उन्हे शिफ्ट मे सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है |

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे । परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमे असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है ।



This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी ।  
Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.



[विश्वेश चतुर्वेदी/Vishwesh Chaturvedi]  
प्रशासनिक अधिकारी /ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति  
The persons concerned

द्वारा: संबंधित प्रमुख/ विभागाध्यक्ष  
Through:- Respective Chief/ HoD

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. सी .एन .सेन्टर के प्रमुख  
Chief of C. N. Centre
2. HOD: NCI, Jhajjar  
एन.सी.आई.झज्जर के विभागाध्यक्ष
3. स्थानपना विभाग:-डी.ओ / सी .एन .सेन्टर/ एन.सी.आई.झज्जर  
Establishment Section- DO/ C. N. Centre/ NCI, Jhajjar
4. लेखा अनुभाग- डी.ओ / सी .एन .सेन्टर/ एन.सी.आई.झज्जर  
Accounts Section -DO/ C. N. Centre/ NCI, Jhajjar,
5. सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ  
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
6. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ  
ACR Cell /SC/ST Cell
7. प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें  
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

